प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 621 सन 2021
अनवान :–

1. बालकिशन पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद तहसील जिला सिरसा।
2. रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद तहसील जिला सिरसा ।
3. पालराम पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खूर्द तहसील ऐलनाबाद तहसील सिरसा

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. जगदीश कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
3. तेजपाल पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
4. लाली पत्नी बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
5. पार्वतीदेवी पुत्री बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
6. शारदारानी पुत्री बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 389/399 की कुल 6.7280हैक्ट भूमि वादीगण 1 ,2 प्रतिवादी संख्या 1 एव बृजलाल के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है। रोही मोजा डूमासर के खाता संख्या 11/11 की कुल 21.7240हैक्ट भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है।

रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 11/11 की कुल 21.7240हैक्ट में से 807 हिस्सा भूमि देवीलाल , बृजलाल , रामेश्वर, हरिकिशन पि0 नन्दराम जाति मेधवाल के द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की गई थी। भूमि खरीद करने के बाद जमाबन्दी सम्वत 2044 व जमाबन्दी सम्बत 2048 बनाते समय चारो भाईयो के नाम भूमि सही तौर से दर्ज थी लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2056 तैयार करते समय सहवन से हरिकिशन का नाम जमाबन्दी में दर्ज नही हुआ हरिकिशन का सही नाम बालकिशन है उसके बाद जमाबन्दी सम्वत 2060 बनाते समय हरिकिशन व रामेश्वर दोनो का नाम जमाबन्दी में दर्ज नही किया गया जो एक लिपिकिय भूल है।

वाद भूमि खरीद के समय से लेकर आज तक चारो भाईयो के कब्जा काश्त में हे वर्तमान में बृजलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान के वाद भूमि कब्जा काश्त में है।

वाद संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय हरिकिशन दर्ज हो गया जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम बालकिशन है लेकिन सभी दस्तावेजात में वादी संख्या 1 का नाम बालकिशन पुत्र नन्दराम है वादी संख्या 1 अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

बृजलाल पुत्र नन्दाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 एवं प्रतिवीद संख्या 2 ता 6 है जो बृजलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने /माता है एवं मृतक बृजलाल की पुत्री/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या संख्या 1 एवं बृजलाल के नाम से दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि देवीलाल , बृजलाल, रामेश्वर, हरिकिशन पुत्र नन्दराम ने जरिये बैयनामा खरीद की थी जिसके अनुसार नामान्तकरण भी दर्ज हो गया किन्तु आगामी जमाबन्दी बनाते समय हरिकिशन एवं रामेश्वर दोनो का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज नही हुआ जिसे दर्ज जिसे दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं बृजलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 हे जो बृजलाल के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रो वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 389/399 की कुल 6.7280हैक्ट भूमि वादीगण 1 ,2 प्रतिवादी संख्या 1 एव बृजलाल के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है। रोही मोजा डूमासर के खाता संख्या 11/11 की कुल 21.7240हैक्ट भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा भुकरका की भूमि नन्दराम के चारो पुत्रो के नाम से दर्ज है एवं रोही मोजा डुमासर की भूमि देवीलाल, बृजलाल पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 11/11 की कुल 21.7240हैक्ट में से 807 हिस्सा भूमि जरिये बैयनामा देवीलाल बृजलाल, रामेश्वर, हरिकिशन पि० नन्दराम के द्वारा बहिब खरीद की गई थी तथा बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 24 भी स्वीकृत होकर जमाबन्दी में दर्ज हो गया था।

वादीगण का कथन है कि जमाबन्दी सम्वत 2060 तक तैयार करते करते सहवन से हरिकशन एवं रामेश्वर दोनो का नाम दर्ज नही हुआ है जिसे दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की हरिकिशन एव रामेश्वर का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से छुटा है उनके हक हिस्सा की भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया गया है

वादीगण का कथन है राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 का नाम हरिकिशन दर्ज किया गया जो गलत है वादीगण का सही नाम बालकिशन है एवं सभी दस्तावेजात में भी बालकिशन दर्ज है वादी संख्या 3 का नाम हरिकिशन के स्थान पर बालकिशन संशोधन करवाने के अधिकारी है।

वादी संख्या 3 का कथन है कि उनके पिता बृजलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है जो बृजलाल के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी संख्या 3 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी संख्या 3 की माता /बहन है ने अपने हको का त्याग किया हुआ है वादी संख्या 3 के कथनो को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की बृजलाल के नाम दर्ज भूमि वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार को एतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादगण के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 11/11 की कुल 21.7240हैक्ट भूमि में से देवीलाल , बृजलाल, पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज हिस्सा में वादी संख्या 1 ,2 बहिब 10205/43448 हिस्सा , वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 10205/86896 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 10205/86896 हिस्सा एवं रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 389/399 की कुल 6.7280हैक्ट में वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है. मृतक बृजलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाता है शेष सयुक्त काश्तकारो का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... गोरखाना.

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बालकिशन पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद तहसील जिला सिरसा।
2. रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद तहसील जिला सिरसा ।
3. पालराम पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खूर्द तहसील ऐलनाबाद तहसील सिरसा

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. जगदीश कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
3. तेजपाल पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
4. लाली पत्नी बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
5. पार्वतीदेवी पुत्री बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
6. शारदारानी पुत्री बृजलाल जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 621 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 11/11 की कुल 21.7240हैक भूमि में से देवीलाल , बृजलाल, पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज हिस्सा में वादी संख्या 1 ,2 बहिब 10205/43448 हिस्सा , वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 10205/86896 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 10205/86896 हिस्सा एवं नाम बालकिशन उर्फ हरिकशन किया जाता है एवं रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 389/399 की कुल 6.7280हैक में वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक बृजलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाता है शेष सयुक्त काश्तकारो का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....गोरखाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर